


**फट्टे अहकाम (नियम 26)**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकायी एवं पट्टेन सहयक कलक्टर सुजानाह**  
 धौलखीन अधिकायी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.  
 वार्द पत्र- अन्तगत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट  
 मू. नं. 74/सन 2019

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम

<p>28.08.2019</p>	<p>यह वार्द पत्र राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 88 व मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वार्दी सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह ने वार्द पत्र कम कोट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वार्द पत्र की पत्रावली मूतिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर की जाई।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गाम मीणा की जमाबन्दी संवत् 2073-76 नया खाला खंख्या 307 में प्राणी का नाम राजस्व रिकार्ड में सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह दर्ज है। जो गलत है। प्राणी का नाम आधार कर्ड परिवच पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्राणी का नाम सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह है। प्राणी का नाम सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह किया जान के आदेश फरमावे।</p> <p>वार्द पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पत्रावली हकका खारिया कमीराम मू अभिलेख नि. मीवसर व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2073-76 में प्राणी का नाम सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कर्ड परिवच पत्र व पत्रावली रिपोर्ट के अनुसार प्राणी का सही नाम सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह है। जो शूद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वार्दी धारा प्रस्तुत वार्दपत्र व दस्तावेजाल एवं मू-अभिलेख निरीक्षक मीवसर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुसंधान कू आधार पर राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में गाम मीणा तहसील सुजानाह व जिला बूक की जमाबन्दी संवत् 2073-76 में नया खाला खंख्या 307 में दर्ज प्रविष्टि की निम्नलिखित रूप से शूद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-</p>	<p>क. गाम खाला संख्या प्रविष्टि (अशूद्ध)</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>मीणा</td> <td>307</td> <td>सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह</td> <td>वर्तमान प्रविष्टि (अशूद्ध)</td> <td>आदेश (शूद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)</td> </tr> </table>	1	मीणा	307	सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह	वर्तमान प्रविष्टि (अशूद्ध)	आदेश (शूद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)	<p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानाह को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में सुमार होकर हस्त जाला दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मूरे द्वारा लिखाया जाकर कम कोट सालासर में सुनाया गया।</p> <p align="right">                   28/8/19                  उपखण्ड अधिकायी सुजानाह                  पट्टेन सहयक कलक्टर सुजानाह             </p>
1	मीणा	307	सागरमल पुत्र मोहनराम जालि कुम्हार निवासी सुजानाह	वर्तमान प्रविष्टि (अशूद्ध)	आदेश (शूद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)					